बिहार सरकार

<u>ग्रामीण विकास विभाग</u>

पत्रांक:- 195080　　　　　　　　　　पटना, दिनांक:- 01-08-2014

सं0सं0 - ग्रा0वि0-7 (आ) - 7 /2013

प्रेषक,

एस0 एम0 राजू,

सचिव ।

सेवा में,

<u>सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,</u>

<u>सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,</u>

बिहार ।

विषय :- **मनरेगा के कार्यान्वयन के मेट वयवस्था के संबंध में अतिरिक्त दिशा निर्देश ।**

महाशय,

विदित हो कि मेट व्यवस्था को लागू करने के लिये एक विस्तृत मार्गदर्शिका विभागीय पत्रांक 144984 दिनांक 09-04-2013 को निर्गत है परंतु अभी भी पंचायत स्तर पर कारगर व्यवस्था लागू नहीं हुयी है । वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार (संबंधित मार्गनिर्देश की प्रति संलग्न) द्वारा मेट को भी "core staff" का दर्जा दिया गया है । भारत सरकार की मेट को core staff का दर्जा दिये जाने के आलोक में यह जरुरी हो जाता है कि इनका चयन प्रावधान के आलोक में लिया जाय ।

इस क्रम में मेट के चयन प्रक्रिया को सुलभ बनाने तथा हर वार्ड में पैनल तैयार रखने हेतु online आवेदन प्राप्त करने की व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया है । मेट का चयन निम्नलिखित आधार पर किया जायेगा :-

1. **<u>शैक्षणिक योग्यता तथा चयन का आधार</u>**

पद का नाम	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता	चयन का आधार
मेट	i. सातवीं पास । ii. मनरेगा में न्यूनतम 50 दिवस कार्य करने का अनुभव ।	• वित्तीय वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 में MIS के आधार पर किया गया कुल कार्य (मानव दिवस में) के बराबर अंक । • किये गये कुल कार्य के आधार पर वार्ड वार वर्ग वार सूची तैयार की जायेगी जिसमे किये गये कार्य (मानव दिवस) के अनुसार अवरोही क्रम में ।

उपरोक्त आधार पर वार्ड वार 4 (चार) मेट का पैनल तैयार किया जायेगा जो दिसम्बर 2015, तक के लिये वैध होगा ।

2. **<u>चयन का प्राधिकार -</u>** चयन प्राधिकार के अध्यक्ष प्रखंड विकास पदाधिकारी, सदस्य कार्यक्रम पदाधिकारी एवं सदस्य सचिव पंचायत सचिव / पंचायत रोजगार सेवक रहेंगे ।

3. **<u>निर्धारित उम्र सीमा -</u>**
   i. चयन के वर्ष की पहली जनवरी को न्यूनतम उम्र 18 वर्ष
   ii. अधिकतम उम्र की कोई सीमा नही है ।

4. **<u>चयन की प्रक्रिया</u>**
   i. अपने निवास के पंचायत में हीं आवेदन कर सकते हैं ।
   ii. आवेदन ऑन लाईन ही स्वीकार किये जायेंगे ।
   iii. कोई आवेदन शुल्क जमा नही करना होगा ।
   iv. आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि के उपरांत वार्ड वार सभी आवेदकों का वर्गवार प्रारूप मेरीट लिस्ट generate किया जायेगा जिसे जिले की वेबसाईट पर प्रकाशित किया जायेगा ।
   v. इस प्रारूप पर कोई भी आवेदक प्रकाशन के 7 दिनों के अन्दर आपत्ति / दावा कार्यक्रम पदाधिकारी को दे सकेंगे ।
   vi. आपत्ति / दावों पर जांचोपरांत विचारण कर चयन समिति अंतिम मेधा सूची तैयार करेगी ।
   vii. दस्तावेजों का निरीक्षण पूर्व निर्धारित तिथि को प्राधिकार द्वारा किया जायेगा ।
   viii. निर्धारित तिथी पर अनुपस्थित रहने पर आवेदक का दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा । मेधा सूची में मेरिट क्रम में पंचायत के वार्डों की संख्या का तीन गुणा पैनल होगा ।
   ix. बराबर अंक प्राप्त होने पर उम्र में वरीयता के आधार पर वरीयता तय की जायेगी ।
   x. मेट मार्गदर्शिका में प्रावधानित रोस्टर के आधार पर इनकी सेवायें आवश्यकता अनुसार ली जायेंगी ।
   xi. यह पैनेल मात्र एक वर्ष के लिये वैध होगा । पैनेल के निर्धारित अवधि (एक वर्ष) के समापन अथवा पैनल exhaust हो जाने पर पुनः इसी प्रक्रिया से अगला पैलन तैयार किया जायेगा ।
   xii. पैनल का प्रकाशन प्रखंड कार्यालय, पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर अवश्य किया जायेगा । इसके अतिरिक्त जिला के website पर तथा समाहरणालय के कार्यालय के सूचना पट पर भी प्रकाशित किया जाएगा ।

5. **<u>मेट के मुख्य काम</u>**
   i. मजदूरों को श्रमिक समूहों में संगठित करना
   ii. काम की मांग सृजन करना
   iii. आवेदकों को कार्य पर लगाना
   iv. हाजरी लेना/ मस्टर राल संधारन

v. दैनिक मजदूरी प्राप्त करने हेतु किये जाने वाले कार्य / स्थल का सीमंकन

vi. दैनिक मापी

vii. जाब कार्ड में हाजरी एवं भुगतान की प्रविष्टि करना / कराना

viii. कार्य स्थल की सुविधायें सुनिश्चित करना

ix. मेट मार्गदर्शिका में निर्धारित अन्य कार्य एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित किये जाने वाले कार्य ।

6. <u>मानदेय</u> - 100 मानव दिवस सृजन पर एक अर्ध कुशल मजदूरी दिवस का भुगतान

7. <u>चयन के मार्किंग का आधार</u>

1.	शैक्षणिक योग्यता	मैट्रिक एवं उच्चतर	20 अंक
		सातवां से नौवां	15 अंक
2.	लिंग	महिला	10 अंक
3.	वर्ग	अ0जा0/ अ0ज0जा0	20 अंक
		अ0पि0व0/ पिछडा व0	15 अंक
		अन्य	10 अंक
4.	मनरेगा का कार्य अनुभव	100 दिन से अधिक	30 अंक
		75- 99 दिन	25 अंक
		50-74 दिन	20 अंक
5.	विकलांगता	40% से अधिक	10 अंक
		40% से कम	5 अंक
6.	स्थानीय वार्ड का निवासी		10 अंक
	उसी पंचायत के अन्य वार्ड का निवासी		5 अंक

आवेदन का प्रपत्र निम्नवत होगा :-

<u>आवेदन का प्रपत्र</u>

नाम ......

पिता/ पति का नाम ....

जाब कार्ड संख्या ......

लिंग .....

पता ....

पंचायत ...

ग्राम ....

वार्ड .....

विकलांगता हां/ नहीं प्रतिशत .....

किस वार्ड के लिये आवेदन कर रहे हैं .....

संभव है कि अधिकांश इच्छुक व्यक्ति Internet के उपयोग की जानकारी के अभाव में online आवेदन ना भर पायें । आवेदन भरना सुलभ करने हेतु पंचायत वार पिछले दो वित्तीय वर्ष में 50 दिन से अधिक कार्य (दोनों वर्ष का योग) करने वाले मजदूरों की सूची प्रिंट कर पंचायत स्तर पर प्रकाशित की जायेगी । साथ ही वैसे आवेदक जो अपना आवेदन online जमा नहीं कर पा रहे हैं उनके आवेदन को प्राप्त कर मनरेगा / IAY काउंटर से इसे online कर पावती की सुविधा दी जायेगी ।

online आवेदन प्राप्त करने की तिथि के संबंध में सूचना बाद में दी जायेगी ।

कृपया इस व्यवस्था का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुये इसे दृढतापूर्वक लागू किया जाय ।

विश्वासभाजन

1/8/14

(एस0 एम0 राजू)

सचिव